नीलामी में खरीदी औद्योगिक संपत्ति पर दोहरे स्टांप शुल्क से छूट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में नीलामी से खरीदी गई संपत्तियों पर अब विक्रय विलेख और पट्टा विलेख पर उद्यमियों को दोहरा शुल्क नहीं देना होगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दो बार शुल्क की व्यवस्था को खत्म करने का निर्देश दिया है।

निवेश प्रोत्साहन और उद्यमियों की समस्याओं पर गुरुवार को लोकभवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नीलामी में खरीदी गई संपत्तियों पर उद्यमियों से विक्रय-विलेख और पट्टा-विलेख पर दो बार स्टांप शुल्क के भार को नियमानुसार खत्म कर दिया जाए। यह केवल पट्टा हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी चाहिए और इस पर केवल एक बार स्टांप शुल्क लिया जाना चाहिए। यह निर्देश उन्होंने मेसर्स ट्रिब्यूला एक्सपोर्ट्स, कानपुर द्वारा सरफेसी एक्ट-2002 के अंतर्गत नीलामी में दोहरे स्टांप शुल्क के भुगतान के प्रकरण का निवारण करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दिए। इस निर्देश से समान प्रकृति के अन्य लगभग बारह मामलों का भी समाधान हो जाएगा। निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से संबंधित बैठकों में अधिकारियों को प्रकरणों की पूरी जानकारी न होने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी से आएं। किसी भी मामले को बेवजह लंबित करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए दंडित किया जाएगा।